रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 1987/आश्विन 15, 1909
No. 505] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 1987/ASHVINA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 890(अ):—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन वाणिज्य मण्डल, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके

और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन को आलू में अग्रिम संविदा के बारे में 7 अक्तूबर, 1987 से 6 अक्तूबर 1989 (जिसमें ये दोनों दिन शामिल है) की 2 वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त मण्डल ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाएं ।

[मिसिल सं. 12/5/आई.टी./87]

पी.एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 7th October, 1987

NOTIFICATION

S.O. 890(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Chamber of Commerce, Hapur and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period of two years from 7th October, 1987 to 6th October, 1989 (both days inclusive) in respect of forward contracts in potatoes.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12|5|IT|87]

P. N. KAUL, Economic Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987